सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 15, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 06, 2023 *Bhadra 15, Wednesday , Saka 1945- September 06, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 04, 2023

जी.एस.आर.130 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (पंचम संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 266 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 266 में,-

(i) खण्ड 1 के सामने स्तंभ 2 में, मद (क) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न "," प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) खण्ड 1 के सामने स्तंभ 2 में, मद (क) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्-

"और

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित सीनियर सैकण्डरी स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों जो ऐसे बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें";

(iii) खण्ड 2 के सामने स्तंभ 2 में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न "," प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iv) खण्ड 2 के सामने स्तंभ 2 में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"और

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों जो ऐसे बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें।"

3. नियम 277ख का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 277ख में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ii-क) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(ii-क) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा खण्ड (i) के अधीन निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा,-

(क) कनिष्ठ सहायक के पद पर, यदि वह राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित सीनियर सैकण्डरी स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है जो ऐसे बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें; और

(ख) ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, यदि वह राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है जो ऐसे बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें; और

(iii) विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(iii) आवेदन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पदों को ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, विज्ञापित करके, ऐसे व्यक्तियों से आमंत्रित किये जायेंगे जिन्होंने राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा या, यथास्थिति, सीनियर सैकण्डरी स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों, जो ऐसे बोर्ड द्वारा यथा अवधारित किये जायें। आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा जैसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया

जाये। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में, उनके अधिमानता क्रम में राज्य के समस्त जिलों के नाम, जिनमें वे सेवा करना चाहते हैं, कथित करने की अपेक्षा की जायेगी;"

4. अध्याय-12 की अनुसूची-1 का संशोधन.- उक्त नियमों के अध्याय-12 की अनुसूची-1 में,-

(i) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 5 में, मद क के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न "," प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 5 में, मद क के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्-

"और

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित सीनियर सैकण्डरी स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों जो ऐसे बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें।"

(iii) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ 5 में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न "," प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ 5 में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्-

"और

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के अधीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों जो ऐसे बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें।"

[सं.एफ.4(9)संशो/सीईटी/लीगल/पीआर/2023/454]

राज्यपाल के आदेश से,
सन्तोष कुमार गोयल ,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, September 04, 2023

G.S.R.130 .-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act,1994(Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:–

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj(Fifth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 266.-** In rule 266 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) in column 2 against clause 1, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of item A, the punctuation mark "," shall be substituted;

(ii) in column 2 against clause 1, at the end of item A, the following shall be added, namely:-

"and

Must have obtained such minimum marks as determined by the Rajasthan Staff Selection Board in Common Eligibility Test for Senior Secondary Level conducted by such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022";

(iii) in column 2 against clause 2, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark "," shall be substituted; and

(iv) in column 2 against clause 2 at the end, the following shall be added, namely:-

"and

Must have obtained such minimum marks as determined by the Rajasthan Staff Selection Board in Common Eligibility Test for Graduate Level conducted by such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022."

3. Amendment of rule 277B.- In rule 277B of the said rules,-

(i) for the existing expression "the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board", wherever occurring, the expression "the Rajasthan Staff Selection Board" shall be substituted;

(ii) after the existing clause(ii) and before the existing clause(iii), the following new clause (ii-a) shall be inserted, namely:-

"(ii-a) Notwithstanding anything contained in these rules, no person shall be eligible to appear in competitive examination conducted under clause (i) by the Board for recruitment to the post of,-

(a) Junior Assistant, if he fails to obtain such minimum marks as may be determined by the Rajasthan Staff Selection Board in Common Eligibility Test for Senior Secondary Level conducted by such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022.; and

(b) Gram Vikas Adhikari, if he fails to obtain such minimum marks as may be determined by the Rajasthan Staff Selection Board in Common Eligibility Test for Graduate Level conducted by such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022; and

(iii) the existing clause (iii) shall be substituted by the following, namely:-

"(iii) the application shall be invited by the Rajasthan Staff Selection Board by advertising the posts in such manner, as they may deem fit, from the

persons who obtain such minimum marks, as determined by the Rajasthan Staff Selection Board, in the Common Eligibility Test for Graduate Level or Common Eligibility Test for Senior Secondary Level, as the case may be, conducted by the such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022. The application shall be made in such form approved by the Rajasthan Staff Selection Board. Candidates shall be required to state in his application form, the names of all Districts of the State in order of their preference, in which they want to serve;"

4. Amendment of Schedule-I of Chapter-XII.- In Schedule-I of Chapter-XII of the said rules,-

(i) in column 5 against serial number 3, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of item A, the punctuation mark "," shall be substituted;

(ii) in column 5 against serial number 3 at the end of item A, the following shall be added, namely:-

"and

Must have obtained such minimum marks as determined by the Rajasthan Staff Selection Board in Common Eligibility Test for Senior Secondary Level conducted by such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022."

(iii) in column 5 against serial number 4, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark "," shall be substituted; and

(iv) in column 5 against serial number 4 at the end, the following shall be added, namely:-

"and

Must have obtained such minimum marks as determined by the Rajasthan Staff Selection Board in Common Eligibility Test for Graduate Level conducted by such Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022."

[NO.F.4(9) Amend/CET/LEGAL/PR/2023/454]

By Order of the Governor,

Santosh Kumar Goyal,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.